

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 03.11.17

क्रमांक १०-१६/२०१७/१६ राज्य शासन एतद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के संगठित, असंगठित तथा भवन एवं सनिर्माण श्रमिकों पूर्व श्रमिकों के लिए सिलिकोसिस बीमारी से संबंधित पूर्व की सभी योजनाओं को अधिक्रमित करते हुए निमानुसार योजना बनाता है—

(क) योजना का नाम एवं विस्तार :—

1. योजना का नाम ‘सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना’ होगा।
2. छत्तीसगढ़ राज्य के संगठित क्षेत्र के श्रमिक, निर्माण श्रमिक एवं असंगठित श्रमिक तथा उनके परिवारजन जिनमें सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि हुई हो इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने हेतु पात्र होंगे।
3. इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल द्वारा उनके अधीन आने वाले श्रमिक प्रवर्गों को दिया जावेगा।
4. यह योजना सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता के रूप में होगी तथा सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम अथवा कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त होगी।
5. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल एवं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए अपनी विद्यमान योजना में इस योजना के अनुरूप परिवर्तन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल इस योजना के अनुरूप नई योजना का निर्माण करेगा।

(ख) योजना हेतु पात्रता :—

1. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल द्वारा योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित वे सभी स्थापनायें जहां कारखाना अधिनियम 1948 अथवा श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 प्रभावशील होगा, में कार्यरत/पूर्व में कार्यरत श्रमिकों को प्रदान किया जावेगा। यदि कोई कारखाना/स्थापना श्रम कल्याण मण्डल के दायरे में हो परन्तु कारखाने/स्थापना द्वारा स्वयं अथवा श्रमिक का पंजीकरण छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के अंतर्गत नहीं कराया गया हो, ऐसी स्थिति में भी श्रम कल्याण मण्डल द्वारा योजना का लाभ श्रमिक/परिवारजनों को दिया जावेगा तथा पंजीकरण नहीं कराने वाले कारखाने/स्थापना के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
2. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा योजना का लाभ प्रदेश के उनके अंतर्गत आने वाले श्रमिक प्रवर्गों को दिया जावेगा। यदि उनके अधीन श्रमिक प्रवर्ग के किसी अपंजीकृत श्रमिक में इस बीमारी की पुष्टि होती है तो मण्डल द्वारा ऐसे श्रमिक का पात्रतानुसार पंजीयन कर उन्हे योजना का लाभ दिया जावेगा।
3. छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल द्वारा उनके अधीन आने वाले श्रमिक प्रवर्गों को इस योजना का लाभ दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त वे श्रमिक जो स्वयं के संगठित क्षेत्र के कारखाने में कार्यरत होने का दावा करते हों परन्तु उप संचालक/सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की जांच में उनके संगठित क्षेत्र के कारखानों में कार्य करने के प्रमाण नहीं मिले हो या जो निर्माण श्रमिक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकरण के पात्र न हो को भी छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अधिसूचित श्रमिक प्रवर्ग में पंजीयन कर योजना का लाभ दिया जावेगा।
4. इस योजना के लाभ हेतु सक्षम चिकित्सक यथा शासकीय मेडिकल कॉलेज अथवा जिला अस्पतालों में कार्यरत चेस्ट एवं टी.बी. विशेषज्ञ चिकित्सक/पं.ज.ने.सृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर की व्यवसायजन्य रोग निदान समिति/कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (प्रमाणक शल्यज्ञ)/उप संचालक (चिकित्सा) अथवा सहायक संचालक (चिकित्सा) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (श्रम विभाग) उक्त में कोई एक द्वारा श्रमिक में सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा।

(f) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

1. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल हेतु आवेदन की प्रक्रिया — आवेदक/आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन अथवा पीड़ित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में श्रमिक के आश्रित आवेदन, जिले के उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। उक्त आवेदनों को इन विभागीय अधिकारियों द्वारा अपनी अनुशंसा सहित सात दिवसों की अवधि में मंडल कार्यालय को मूलतः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावेगा।
2. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल हेतु आवेदन की प्रक्रिया — आवेदक/आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन अथवा पीड़ित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में श्रमिक के आश्रित आवेदन, जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। उक्त आवेदनों को इन विभागीय अधिकारियों द्वारा अपनी अनुशंसा सहित सात दिवसों की अवधि में मंडल कार्यालय को मूलतः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावेगा।
3. छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल हेतु आवेदन की प्रक्रिया — आवेदक/आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन अथवा पीड़ित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में श्रमिक के आश्रित आवेदन, जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। उक्त आवेदनों को इन विभागीय अधिकारियों द्वारा अपनी अनुशंसा सहित सात दिवसों की अवधि में मंडल कार्यालय को मूलतः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावेगा।
4. सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में आवेदन मृतक श्रमिक के आश्रित (माता/पिता/पति/पुत्र/पुत्री) द्वारा भी किया जा सकेगा।
5. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल में आवेदन भेजने हेतु आवेदन के साथ उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का अनुशंसा पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जिसमें श्रमिक में सिलिकोसिस होने की पुष्टि की गई हो संलग्न होंगे।
6. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में आवेदन भेजने हेतु आवेदन के साथ सहायक श्रमायुक्त/जिला श्रम पदाधिकारी का अनुशंसा पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जिसमें श्रमिक में सिलिकोसिस होने की पुष्टि की गई हो संलग्न होंगे।
7. छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल में आवेदन भेजने हेतु आवेदन के साथ सहायक श्रमायुक्त/जिला श्रम पदाधिकारी का अनुशंसा पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जिसमें श्रमिक में सिलिकोसिस होने की पुष्टि की गई हो संलग्न होंगे।

(g) योजना अंतर्गत सहायता :—

1. आर्थिक सहायता :—

योजना के अंतर्गत रुपये 3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र) प्रदाय किया जावेगा, जिसमें से राशि रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) हितग्राहियों/हितग्राही की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों के खाते में स्थानांतरित किया जावेगा तथा रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) एफ.डी. के रूप में देय होगा। एफ.डी. के ब्याज का स्वरूप मासिक ब्याज के रूप में (मासिक आय योजना M.I.S.) होगा। श्रमिक के जीवित रहने पर श्रमिक को लाभ की पात्रता एवं मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को लाभ की पात्रता होगी।

2. पुनर्वास सहायता :—

सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक एवं उनके आश्रित परिवारजन को संबंधित मंडल की अन्य सभी योजनाओं का लाभ भी दिया जावेगा, वशर्ते वो उन योजनाओं की पात्रताओं को पूर्ण करते हों।

3. इस योजना हेतु संपूर्ण व्यय संबंधित मंडल द्वारा स्वयं की निधि से वहन किया जावेगा।

(d.) आवेदन प्रकरणों का निराकरण :—

1. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मण्डल को होगा।
2. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार मंडल के सचिव को होगा।
3. छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार मंडल के नोडल अधिकारी को होगा।

उक्त अधिकारी आवेदन के 15 दिवसों के भीतर आवेदन का निपटारा करेंगे। यदि आवेदन तकनीकी तौर पर अस्वीकृत किया जाता है तो उसका कारण लिखित में आवेदक के पास भेजा जावेगा तथा आवेदक को आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में ब्रुटि सुधार कर निरंतरता में पुनः आवेदन किये जाने का अधिकार होगा।

9/2011/12

विसंगति का निराकरण :-

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में श्रमायुक्त छ.ग. शासन श्रम विभाग का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(३) योजना से संबंधित अन्य निर्देश :-

1. संगठित क्षेत्र के किसी श्रमिक में सिलिकोसिस की शिकायत मिलने पर क्षेत्राधिकारी (उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा) श्रमिक के कारखाने में नियोजित होने/पूर्व में नियोजित होने संबंधी जांच 15 दिन की अवधि में पूर्ण करेंगे। तदपश्चात उप संचालक चिकित्सा, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को इस जांच के परिणाम से अवगत कराते हुए प्रकरण अधेष्ठित करेंगे। उप संचालक चिकित्सा, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उक्त श्रमिक में सिलिकोसिस की जांच संबंधी कार्यवाही करेंगे एवं जांच के परिणाम से उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को अवगत करावेंगे। यदि श्रमिक में सिलिकोसिस की पुष्टि होती है तो जिन श्रमिकों के प्रकरणों में उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की जांच में उनके कारखाने में नियोजित होने/पूर्व में नियोजित होने संबंधी पुष्टि हुई है, ऐसे प्रकरणों में उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक/आश्रित से आवेदन प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ श्रम कल्याण मण्डल को अधेष्ठित करेंगे। ऐसे श्रमिक जिनमें सिलिकोसिस की पुष्टि हुई है परन्तु उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की जांच में उनके कारखाने में नियोजित होने/पूर्व में नियोजित होने संबंधी पुष्टि नहीं हुई है, ऐसे प्रकरणों में उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रकरण को जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के पास भेजेंगे। तदपश्चात जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी श्रमिक को छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत ठेका श्रमिक प्रवर्ग में पंजीकृत कर श्रमिक/आश्रित से योजना का आवेदन प्राप्त कर छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल को भेजेंगे।
2. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत किसी प्रवर्ग के श्रमिक में सिलिकोसिस की आशंका होने की स्थिति में जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी प्रकरण को उप संचालक चिकित्सा, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के पास भेजेंगे। उप संचालक चिकित्सा, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उक्त श्रमिक में सिलिकोसिस की जांच संबंधी कार्यवाही करेंगे एवं जांच के परिणाम से सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को अवगत करावेंगे। श्रमिक में सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि होने की स्थिति में जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, श्रमिक/आश्रित से आवेदन प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को अधेष्ठित करेंगे। यदि श्रमिक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है परन्तु पंजीकृत होने का पात्र है तो जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी श्रमिक के पंजीयन की कार्यवाही कर श्रमिक/आश्रित से आवेदन प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को अधेष्ठित करेंगे।
3. छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत किसी प्रवर्ग के श्रमिक में सिलिकोसिस की आशंका होने की स्थिति में जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी प्रकरण को उप संचालक चिकित्सा, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के पास भेजेंगे। उप संचालक चिकित्सा, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उक्त श्रमिक में सिलिकोसिस की जांच संबंधी कार्यवाही करेंगे एवं जांच के परिणाम से सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को अवगत करावेंगे। श्रमिक में सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि होने की स्थिति में जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, श्रमिक/आश्रित से आवेदन प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल को अधेष्ठित करेंगे। यदि श्रमिक छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है परन्तु पंजीकृत होने का पात्र है तो जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी श्रमिक के पंजीयन की कार्यवाही कर श्रमिक/आश्रित से आवेदन प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल को अधेष्ठित करेंगे।
4. संगठित क्षेत्र के श्रमिक में सिलिकोसिस की पुष्टि होने की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा) संबंधित कारखाने के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे तथा श्रमिक की जानकारी क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम को देंगे।
5. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ केवल आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता के रूप में होंगे तथा सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम अथवा कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त होंगे। यदि कोई श्रमिक स्वयं को किसी कारखाने में कार्यरत/पूर्व में कार्यरत होने का दावा करता है, परन्तु क्षेत्राधिकारी (उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा) की जांच में श्रमिक के दावे की पुष्टि नहीं होती है, तो उपरोक्त उपबन्ध क्रमांक (४) के तहत भले ही श्रमिक को छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत ठेका श्रमिक प्रवर्ग में पंजीकृत कर लाभ प्रदाय किया जावे तब भी श्रमिक करने हेतु स्वतंत्र होंगे तथा उनके दावे की जांच क्षतिपूर्ति आयुक्त/श्रम न्यायालय के समक्ष कारखाने के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा करने हेतु स्वतंत्र होंगे तथा उनके दावे की जांच क्षतिपूर्ति आयुक्त/श्रम न्यायालय द्वारा की जा सकेगी।

27/11/17

(ज) योजना की प्रभावशीलता :-

यह योजना भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01.11.2000 से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,



(ए०केरकेट्टा)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

नया रायपुर, दिनांक 03.11.2017


पृष्ठांकन एफ 10-16 / 2017 / 16

प्रतिलिपि :-

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
02. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
03. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
04. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
05. कलेक्टर, जिला— (छ0ग0)।
06. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
07. नोडल अधिकारी, असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
08. कल्याण आयुक्त, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, 31/520, प्रवीण भवन, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
09. समस्त उप संचालक/प्रभारी उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (छ0ग0)।
10. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय (छ0ग0)।
11. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणाल, खेरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसचूना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12. गार्ड फाईल।


अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग